

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) पीथीसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.

सिलोचना देवी उनवान
बनाम राजस्थान सरकार शाहि

दावा बाबत नाम सुरप्ती

मुकदमा नम्बर :- 140/2021

निर्णय दिनांक :- 02.12.2021

वादी की ओर से स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02.12.2021 को श्री राहुल सैनी आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि दावा वादी स्वयं किमा जाकर कृषि भूमि रोधी शक्ति मनभरी पुत्री श्रीरामलाल के स्थान पर (सिलोचना देवी) अंशराल दल काने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदर, चूरु उम्मानुसार राजस्व रिपोर्ट में अमल दराजद करें। नाम सुरप्ती किसे जाने के साक्ष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होना है तो समस्त जिम्मेवारी वादी की होगी।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 02.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

02.12.21

(राहुल सैनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चूरु

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रूपया	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामिल
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामिल		
जोड़		जोड़



नाबल 2539 श्रीरामलाल
02.12.2021

नाबल 1017 श्रीरामलाल
02.12.2021